Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

कुलदीपसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति पुरोहित निवासी बापेऊ पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर बनाम मोहनसिंह वगैरह

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 64/**2025** **U/S 212 RTA & 151 CPC**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
24.04.2025	आज यह प्रार्थना पत्र कुलदीपसिंह ने जरिये श्री श्रवण कुमार गोदारा अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थी ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया। बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरणं प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 134 तादादी 4.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 59 तादादी 19.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 60 तादादी 1.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 94 तादादी 6.2500 हैक्टेयर रोही बापेऊ पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में आगामी तारीख पेशी तक मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। आगामी तारीख पेशी तक तलबी न होने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 09.06.2025 को आकर पेश करें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 09.06.2025 को पेश हों । **उपखण्ड अधिकारी** **श्रीडूंगरगढ**	
16.5.2015	आज यह पत्रावली वादी ने जरिये अधिवक्ता मूल वाद डिक्री किये जाने पर पेशी में लगाई। वादी द्वारा मूलवाद को डिक्री किया जा चुका है, प्रार्थना पत्र का अब कोई औचित्य नहीं रहा है, लिहाजा प्रार्थी प्रार्थना पत्र [illegible] किया जाता है। पत्रावली [illegible] नम्बर से कम हो [illegible] उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)	कुलदीपसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:46:26 IST
Reason: SelfAttested